XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.433/95 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–5–15	इस प्रकरण में आवेदक की ओर से कई पेशियों से कोई उप. नहीं हो रहा है तथा आज भी कोई उप. नहीं हुआ । अना. की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभि. उप. । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 1 Rc. ONE

COURT FEE 1 Rc. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE INDIA 50 PAISE

न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मध्यप्रदेश ग्वालियर C.Bl. 7.50

प्रकरण क्रमांक /95 निगरानी

RN14-27/A/1533/95

§1§ देवीलाल उर्फ देवीराम

§2§ हरपाल

§3§ ग्यारसा

§4§ महिला प्यारी

§5§ महिला कला

पुत्र एवं पुत्रियां मुकुंदी §आदिवासी§

निवासी ग्राम खिरखिरी तह0श्योपुर

जिला मुरैना म0प्र0----------आवेदकगण

विरूद्ध

§1§ केशव नारायण §
§2§ प्रेमप्रकाश § पुत्रगण श्री वल्लभ
§3§ विनोद कुमार §

§4§ कमलाबाई विधवा ओमप्रकाश

मृतक श्रीवल्लभ के वारसान§ सभी निवासी

ग्राम कराहल तह0श्योपुर जिला मुरैना म0प्र0

-----------अनावेदकगण

क्रमांक ....
श्री .... अभिभावक द्वारा आज दिनांक 8.5.95 को प्रस्तुत
8.5.95
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग ता030•10•93 प्र0क्र0 57/87-88 निगरानी ।

8/5/95

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की यह निगरानी आदेश के ज्ञान से अंदर म्याद निम्नानुसार प्रस्तुत :-

निगरानी के संबंध में तथ्य संक्षेप में :-

संक्षिप्त तथ्य

§अ§ प्रश्नाधीन भूमि §भूमि क्र0 863 2 बीघे 12 बिस्वे भूमि क्र0 913 1 बीघा 17 बिस्वे§ आवेदकगण के पिता भूमिस्वामी मुकुंदी आदिवासी से श्रीवल्लभ गैरआदिवासी ने कलेक्टर की अनुमति के बगैर बयनामा ता0 28•6•61 द्वारा रू0 500/- के कथित मूल्य में खरीदी । कथित खरीददार ने कभी भी स्वयं कोई सूचना उक्त भूमि क्रय करने की संहिता की अपेक्षा के अनुसार नहीं दी ।